(46)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

ओम प्रकाश आत्मज गोकुल प्रसाद निगरानी– 3355/2018/हरदा/भू.रा.

जाति ब्राहम्ण निवासी जिजगांव खुर्द

तहसील व जिला हरदा ....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आत्माराम आत्मज काशीराम

जाति ब्राहम्ण निवासी जिजगांव खुर्द

तहसील व जिला हरदा

2. काशीनाथ आत्मज हरलाल गुर्जर

निवासी सिंगखेड़ा तहसील व जिला हरदा..............................उत्तरवादीगण

याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रहटगांव द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ 70 वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि उत्तरवादी कमांक 1 द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय तहसीलदार महोदय रहटगांव के समक्ष अपनी भूमि खसरा नं. 9/1 (9/8) आवैधानिक सीमांन के आधार पर याचिकाकर्ता का अतिकमण बताते हुए धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3355/2018/हरदा/भू.रा. [ओमप्रकाश / आत्माराम]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.06.2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार रहटगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं आवेदक को प्रतिपरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	